The Academic
International Journal of Multidisciplinary Research

An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 3 | Issue 7 | July 2025
ISSN: 2583-973X (Online)
Website: www.theacademic.in

भारतीय पुरास्थलों के प्रबंधन में पुरानिधि अधिनियमों की भूमिका:- एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

प्रो0 देवेन्द्र कुमार गुप्ता

प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग, गुरुकुल काँगड़ी सम विश्वविद्यालय हरिद्वार उत्तराखण्ड

दीपक कुमार

शोध छात्र, प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग, गुरुकुल काँगड़ी सम विश्वविद्यालय हरिद्वार उत्तराखण्ड,

Email: purattatva@gmail.com

DOI : https://doi.org/10.5281/zenodo.16793291

ARTICLE DETAILS

Research Paper

Accepted: 21-07-2025

Published: 10-08-2025

Keywords:

पुरावशेष अधिनियम ,स्मारक ,पुरास्थल, प्रबंधन ,संरक्षण एवं सुरक्षा ।

ABSTRACT

भारत, अपनी विशाल और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ, अनगिनत पुरातात्विक स्थलों और स्मारकों का घर है । इन अमूल्य निधियों का संरक्षण और प्रबंधन राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण दायित्व है । इस शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य भारतीय पुरास्थलों के प्रबंधन में विभिन्न पुरानिधि अधिनियमों (Antiquities Acts) की भूमिका का विश्लेषण करना है । इसमें मुख्य रूप से 'प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (The Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958)' और 'पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 (The Antiquities and Art Treasures Act, 1972)' के प्रावधानों, उनके कार्यान्वयन और प्रभाव की विवेचना की गई है । यह शोध पत्र इन कानूनों द्वारा स्थापित संरक्षण तंत्र, उनके सामने आने वाली चुनौतियों और भविष्य में उनके प्रभावीकरण हेतु सुझावों पर भी प्रकाश डालता है ।

1. प्रस्तावना- भारत का इतिहास सहस्राब्दियों पुराना है, जो अपने पीछे स्मारकों, पुरास्थलों, मूर्तियों, शिलालेखों और कलाकृतियों के रूप में एक अमूल्य विरासत छोड़ गया है । यह विरासत न केवल भारत की गौरवशाली पहचान का प्रतीक है, बल्कि मानवता के ऐतिहासिक विकास को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है । इस विरासत को भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित करना आवश्यक है । इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, भारत सरकार ने समय-समय पर विभिन्न कानूनी ढाँचों का निर्माण किया है । इन कानूनी ढाँचों का मुख्य उद्देश्य पुरास्थलों को मानवीय और प्राकृतिक क्षरण से बचाना, अवैध उत्खनन और तस्करी को रोकना तथा उनके वैज्ञानिक प्रबंधन और संरक्षण को सुनिश्चित करना है । इस संदर्भ में, भारतीय

संसद द्वारा पारित पुरानिधि अधिनियम केंद्रीय भूमिका निभाते हैं । यह शोध पत्र इन्हीं अधिनियमों के विभिन्न पहलुओं और पुरास्थल प्रबंधन पर उनके वास्तविक प्रभाव का मूल्यांकन करेगा ।

2. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि - भारत में पुरातात्विक विरासत के संरक्षण की कानूनी यात्रा ब्रिटिश काल में ही प्रारंभ हो गई थी । 1. बंगाल रेगुलेशन XIX (1810) और मद्रास रेगुलेशन VII (1817) ये शुरुआती प्रयास थे जो स्थानीय सरकारों को सार्वजनिक भवनों के दुरुपयोग को रोकने का अधिकार देते थे ।

2. भारतीय खजाना निधि अधिनियम, 1878 (The Indian Treasure Trove Act, 1878) इसका उद्देश्य भूमि में पाए गए 10 रुपये से अधिक मूल्य के किसी भी "खजाने" या पुरावशेष की खोज को नियंत्रित करना और सरकार को उसे प्राप्त करने का अधिकार देना था ।

3. प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम, 1904 (The Ancient Monuments Preservation Act, 1904) लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में पारित यह अधिनियम भारत में विरासत संरक्षण की दिशा में एक मील का पत्थर था । इसने पहली बार प्राचीन स्मारकों को परिभाषित किया, उन्हें संरक्षित करने और उनके आसपास के क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार को व्यापक अधिकार दिए ।

स्वतंत्रता के पश्चात, इन्हीं कानूनों को आधार बनाकर और अधिक व्यापक तथा सुदृढ़ विधानों का निर्माण किया गया ।

स्वतंत्र भारत में पुरास्थलों और पुरावशेषों के प्रबंधन के लिए दो मुख्य अधिनियम बनाए गए:

1. प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (AMASR Act, 1958) यह अधिनियम आज भारत में पुरास्थलों के संरक्षण और प्रबंधन का मुख्य कानूनी आधार है । यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को अपने कार्यों के निष्पादन के लिए शक्तियाँ प्रदान करता है । इसके प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं:-

राष्ट्रीय महत्व की घोषणा:- यह केंद्र सरकार को 100 वर्ष से अधिक पुराने किसी भी ऐतिहासिक या पुरातात्विक स्मारक, स्थल या अवशेष को "राष्ट्रीय महत्व" का घोषित करने का अधिकार देता है ।

निषिद्ध और विनियमित क्षेत्र (Prohibited and Regulated Areas):- यह अधिनियम किसी भी संरक्षित स्मारक के चारों ओर 100 मीटर के क्षेत्र को 'निषिद्ध क्षेत्र' घोषित करता है, जहाँ किसी भी प्रकार का निर्माण पूरी तरह से प्रतिबंधित है । इसके आगे 200 मीटर तक का क्षेत्र 'विनियमित क्षेत्र' होता है, जहाँ निर्माण या खनन के लिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (NMA) से अनुमति लेना अनिवार्य है ।

उत्खनन का विनियमन:- यह अधिनियम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के महानिदेशक की अनुमति के बिना किसी भी संरक्षित क्षेत्र में पुरातात्विक उत्खनन पर रोक लगाता है ।

दंड का प्रावधान:- अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने, जैसे किसी स्मारक को नुकसान पहुँचाने या निषिद्ध क्षेत्र में अवैध निर्माण करने पर, कारावास और जुर्माने का कठोर प्रावधान है ।

2. प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, AMASR (संशोधन) अधिनियम, 2010:- इस अधिनियम में 2010 में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए, जिनका उद्देश्य इसके प्रावधानों को और मजबूत करना था ।

राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (National Monuments Authority - NMA) का गठन:- स्मारकों के आसपास के निषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों में निर्माण की अनुमति देने वाली याचिकाओं का प्रबंधन करने और प्रत्येक स्मारक के लिए विरासत उप-नियम (Heritage Bye-laws) बनाने के लिए एक वैधानिक निकाय के रूप में NMA की स्थापना की गई । यह अधिनियम निषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों के नियमों को और अधिक सख्त बनाया गया ।

3. पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 (Antiquities and Art Treasures Act, 1972) :- जहाँ AMASR अधिनियम मुख्य रूप से अचल विरासत (स्थलों और स्मारकों) पर केंद्रित है, वहीं यह अधिनियम चल विरासत (कलाकृतियों, मूर्तियों, पांडुलिपियों आदि) के संरक्षण और विनियमन पर केंद्रित है ।

पुरावशेषों के व्यापार पर नियंत्रण:- यह अधिनियम केवल लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों को ही पुरावशेषों का व्यापार करने की अनुमति देता है ।

अनिवार्य पंजीकरण:- यह कुछ विशेष प्रकार के पुरावशेषों के निजी मालिकों के लिए अपनी वस्तुओं का पंजीकरण करवाना अनिवार्य बनाता है, ताकि उनकी प्रामाणिकता और स्वामित्व का रिकॉर्ड रखा जा सके ।

निर्यात पर प्रतिबंध:- यह केंद्र सरकार की अनुमति के बिना किसी भी पुरावशेष को भारत से बाहर ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है । इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय कलाकृतियों की विदेशों में तस्करी को रोकना है ।

अनिवार्य अधिग्रहण:- यदि राष्ट्रहित में आवश्यक हो तो यह सरकार को किसी भी व्यक्ति से उचित मुआवजा देकर किसी भी पुरावशेष का अधिग्रहण करने का अधिकार देता है ।

4. पुरास्थल प्रबंधन में इन अधिनियमों की भूमिका – पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक धरोहर के बचाव एवं प्रबंधन में पुरावशेष अधिनियमों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है । पुरावशेष अधिनियमों को प्रभावी रूप से लागु करके अनेक पुरासम्पदा को बचाया गया है। इन अधिनियमों के कारण ही बहुत सी प्राचीन कलाकृतियाँ,पुरास्थल ,स्मारक एवं पुरावशेष को अवैध व्यापार ,अतिक्रमण तथा विध्वंश से बचाया गया है। पुरावशेष अधिनियमों के द्वारा ही किसी संरक्षित पुरास्थल के प्रतिबंधित क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है जो पुरास्थल के प्रबंधन के सबसे आवश्यक सिद्धांत में से एक है । प्राचीन धरोहर एवं पुरास्थल के संरक्षण,उत्खनन एवं प्रदर्शन की जानकारी का स्रोत्र भी यहि अधिनयम है ।

इन अधिनियमों ने भारतीय पुरास्थलों के प्रबंधन में एक बहुआयामी भूमिका निभाई है:-

कानूनी संरक्षण:- इन कानूनों ने पुरास्थलों को एक कानूनी पहचान और सुरक्षा कवच प्रदान किया है, जिससे वे अतिक्रमण और विनाश से सुरक्षित रहते हैं ।

अनधिकृत निर्माण पर रोक:- निषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों की अवधारणा ने स्मारकों के आसपास के अनियंत्रित शहरीकरण और निर्माण गतिविधियों पर काफी हद तक लगाम लगाई है, जिससे स्मारकों का मूल परिवेश सुरक्षित रहता है ।

वैज्ञानिक संरक्षण को बढ़ावा:- ये अधिनियम ASI जैसी विशेषज्ञ एजेंसियों को पुरास्थलों के वैज्ञानिक तरीके से संरक्षण, मरम्मत और रखरखाव का अधिकार देते हैं ।

अवैध उत्खनन और तस्करी पर नियंत्रण:- इन कानूनों ने पुरातात्विक स्थलों की अवैध खुदाई और बहुमूल्य कलाकृतियों की अंतरराष्ट्रीय बाजार में तस्करी पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाया है ।

जन जागरूकता:- किसी स्थल को "राष्ट्रीय महत्व" का घोषित करने से उसका महत्व बढ़ जाता है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलता है और लोगों में उसके प्रति जागरूकता और सम्मान की भावना पैदा होती है ।

5.समस्याएं एवं चुनौतियाँ - भारत की विशाल सांस्कृतिक धरोहर तथा इसके असंख्य स्थल जो पुरातन होने के साथ -साथ भारी मात्रा में उपलब्ध है उनकी देखरेख तथा संरक्षण के लिए पुरानिधि अधिनियम को धरातल पर लाने के लिए एक विशाल मानव संसाधन की आवश्यकता है जो अभी भी पूर्ण नहीं हो पाई है जिसके कारण बहुत सी चुनौतियां अभी भी इन अधिनयमों को लेकर है । एक मजबूत कानूनी ढांचे के बावजूद, पुरास्थलों के प्रबंधन में कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं ।

अतिक्रमण:- शहरी दबाव और भूमि की कमी के कारण संरक्षित स्थलों के निषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों में अतिक्रमण एक गंभीर समस्या है ।

संसाधनों की कमी:- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के पास विशाल संख्या में स्मारकों के प्रबंधन के लिए धन और प्रशिक्षित मानव संसाधन की कमी है ।

जन-जागरूकता का अभाव:- स्थानीय समुदायों में अपनी विरासत के महत्व के बारे में जागरूकता की कमी के कारण वे अक्सर संरक्षण प्रयासों में सहयोगी नहीं बन पाते ।

विकास बनाम संरक्षण:- अक्सर विकास परियोजनाओं (जैसे सड़क, बांध, उद्योग) और विरासत संरक्षण के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है ।

धीमी कानूनी प्रक्रिया:- अतिक्रमण और अन्य उल्लंघनों के मामलों में कानूनी प्रक्रिया अक्सर लंबी और धीमी होती है, जिससे कानून का भय कम हो जाता है ।

6. सुझाव एवं भविष्य की दिशा - पुरावशेष अधिनियमों के अनुपालन तथा अनुप्रयोग को व्यहवारिक रूप से लागु करने के लिए इसको विभागीय तथा जनसामान्य स्तर पर अनिवार्य तथा सरल स्वरूप में स्थापित करना होगा जिससे यह नागरिक

दायित्व के रूप में स्थापित होगा । इन चुनौतियों से निपटने और अधिनियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं ।

प्रौद्योगिकी का उपयोग:- पुरास्थलों की निगरानी, मैपिंग और दस्तावेजीकरण के लिए GIS, ड्रोन और 3D लेजर स्कैनिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का व्यापक उपयोग किया जाना चाहिए ।

सामुदायिक भागीदारी:- संरक्षण और प्रबंधन की प्रक्रिया में स्थानीय समुदायों को शामिल किया जाना चाहिए । इससे उन्हें अपनी विरासत के प्रति स्वामित्व का एहसास होगा ।

क्षमता निर्माण:- ASI और राज्य पुरातत्व विभागों के कर्मचारियों के लिए आधुनिक संरक्षण तकनीकों और प्रबंधन कौशल में नियमित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

अंतर-विभागीय समन्वय:- विकास परियोजनाओं की योजना बनाते समय शहरी विकास, पर्यटन और संस्कृति मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय होना चाहिए ।

जन-जागरूकता अभियान:- स्कूल, कॉलेज और मीडिया के माध्यम से विरासत के महत्व के बारे में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए ।

7. निष्कर्ष

यह स्पष्ट है कि पुरानिधि अधिनियमों, विशेष रूप से AMASR अधिनियम, 1958 और पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972, ने भारत की पुरातात्विक विरासत के संरक्षण के लिए एक मजबूत और व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान किया है । इन कानूनों ने हजारों स्मारकों और स्थलों को विनाश से बचाया है और भारत की सांस्कृतिक संपदा को विदेशों में तस्करी से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ।

हालांकि, इन कानूनों की सफलता केवल उनके प्रावधानों में नहीं, बल्कि उनके प्रभावी कार्यान्वयन में निहित है । अतिक्रमण, संसाधनों की कमी और जागरूकता का अभाव जैसी चुनौतियाँ अभी भी गंभीर हैं । अतः, प्रौद्योगिकी को अपनाकर, सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देकर और प्रवर्तन को मजबूत करके इन कानूनों को और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है, ताकि भारत की अमूल्य पुरातात्विक विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखा जा सके ।

आभार - यह शोध पत्र भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद द्वारा वित्त सहयोग एवं भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण के सहयोग से तैयार किया गया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. The Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958.

2. The Antiquities and Art Treasures Act, 1972.

3. The Ancient Monuments Preservation Act, 1904.

4. The Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 2010 .

5. चक्रवर्ती, दिलीप के. (1998). India: An Archaeological History. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ।

6. लाल, बी.बी. (2002). सरस्वती बह रही है: भारतीय संस्कृति का निरंतर प्रवाह. आर्यन बुक्स इंटरनेशनल ।

7. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की वार्षिक रिपोर्टें, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार ।

8. राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (NMA) की वेबसाइट और प्रकाशन । (www.nma.gov.in)

9. "Improving Heritage Management in India" (2019)- नीति आयोग रिपोर्ट ।

10. बिष्ट, ए.एस. (2014). "Challenges in the Conservation of Indian Cultural Heritage". Journal of Indian Museums.

11 . तिवारी वी. के. (2011). प्राचीन भारतीय स्मारकों का संरक्षण तकनीक एवं प्रविधियाँ सविता शक्ति प्रकाशन लखनऊ.